सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 03.08.2025

अज्ञात महिला के शव की पहचान कराकर अभियोग में सम्मिलित मुख्य आरोपी सहित 03 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 कार, 01 मोटर साइकिल एवं 03 मोबाइल किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में इटावा पुलिस **थाना बलरई पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 28/29.07.2025 की रात्रि को थाना बलरई क्षेत्रान्तर्गत खंदिया पुल के पास 01 महिला का अज्ञात अवस्था में शव मिला था जिसकी सूचना पर उच्चाधिकारीगणों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर शव की शिनाख्त हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे। जिस पर थाना बलरई पुलिस द्वारा तत्काल शव को कब्जे में लेकर शव के शिनाख्त के प्रयास किये जा रहे थे। उक्त महिला के शव की शिनाख्त रामनिवास पुत्र रामदास शर्मा निवासी ग्राम बिठोना थाना जैतपुर जनपद आगरा हाल पता अशोक नगर बिजोली कस्बा व थाना बाह जनपद आगरा द्वारा अपनी पत्नी के रूप में की गयी तथा थाना बलरई पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि उसकी पत्नी दिनांक 28.07.2025 को घर से दवा लेने के लिये जैतपुर गयी थी एवं वहाँ से घर वापस नहीं आयी जिसका शव किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर थाना बलरई क्षेत्रान्तर्गत फेंक दिया गया है। **सूचना पर तत्काल थाना बलरई पर मु0अ0सं0 38/2025 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी जसवन्तनगर के कुशल नेतृत्व में थाना बलरई से पुलिस टीमों का गठन किया गया था जो घटना के अनावरण एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत थी।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद मे अपराध/अपराधियों की रोकथाम एवं हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में थाना बलरई पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 38/2025 में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे इसी दौरान गठित पुलिस टीमों द्वारा सीसीटीवी कैमरों को चैक किया गया तो 01 व्यक्ति द्वारा दिनांक 28/07/2025 को मो0सा0 होण्डा साईन से यशोदा को ले जाते हुये पाया गया। जिस व्यक्ति की पहचान कौशल के रूप में की गयी।

जिस पर कौशल से सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर गम्भीरता से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि वह मृतिका यशोदा के पहले पति का बेटा है और बताया कि मेरी मां यशोदा ने मेरे पिता संजय शर्मा के जीवित रहते समय पड़ोस के गांव के रामनिवास शर्मा से करीब 07-08 वर्ष पूर्व कर ली थी। शादी के बाद मेरे परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। इसी कारण मेरी शादी भी नहीं हो रही थी। जिसके चलते मैने अपनी मां को शबक सिखाने के लिये योजना बनाई इस योजना के तहत मैं दिनांक 28.07.25 अपनी मां को मोटर साइकिल से दवा लेने का बहाना बनाकर इटावा ले आया और खदिया नदी पुल पर स्कोर्पियो कार में मेरे साथियों ने मां को स्कॉर्पियो में बैठा लिया और मैं गाड़ी के पीछे -2 चल रहा था नदी पुल पार करके उक्त लोगो ने मेरी मां को गाड़ी से नीचे गिरा-कर उस पर स्कार्पियो गाड़ी चढ़ा दी तथा दोबारा गाड़ी को बैक करके तीन-चार बार मेरी मां को गाड़ी से कुचल दिया था और फिर हम सभी लोग यमुना पुल से वापस अपने गांव की तरफ चले गये थे।

पूछताछ के आधार पर थाना बलरई पुलिस द्वारा अभियुक्त कौशल, बॉबी, रजत को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में सलिप्त वाँछित अभियुक्तगण सतवीर, कबीर एवं सौरभ की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध मे थाना बलरई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 38/25 धारा 103(1) बीएनएस मे धारा 201/3(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

बरामद घटना मे प्रयुक्त स्कॉर्पियो कार एवं मोटरसाइकिल होण्डा साइन को सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. कौशल शर्मा पुत्र संजय शर्मा निवासी ग्राम खुरियापुरा जैतपुर जिला-आगरा हाल पता कस्बा व थाना जैतपुर जनपद आगरा **उम्र करीब 29 वर्ष।**
2. बाबी पुत्र संजू वर्मा निवासी ग्राम गढ़ी रमपुरा थाना जैतपुर जनपद आगरा उम्र करीब 20 वर्ष।
3. रजत पुत्र शिवचरन सिंह जाटव निवासी ग्राम कमतरी गोपालपुरा थाना जैतपुर जनपद आगरा उम्र करीब 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 38/2025 धारा 103(1)/238(1)/3(5) बीएनएस थाना बलरई जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. 01 कार महिन्द्रा स्कॉर्पियो (**घटना मे प्रयुक्त**)
2. 01 मो0सा0 होण्डा साइन (**घटना मे प्रयुक्त**)
3. 03 मोबाइल फोन।

पुलिस टीमः- निरी0 श्री दिवाकर प्रसाद सरोज प्रभारी थाना बलरई, उ0नि0 भगवान सिंह, उ0नि0 निर्मल कुमार, उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार, उ0नि0 शेरसिंह, का0 राहुल भारद्वाज, का0 विकास यादव, का0 विकास कुमार, का0 आलोक चौधरी